न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या 679/2019

घुं0पो0फा0प्रो0 सत्येन्द्र पाल ––बनाम–– बघेल सिंह।।

धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम।

थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

दिनांकः 16.12.2019

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। परिवादी के अधिवक्ता विद्वान को तलबी बहस पर पूर्व सुना जा चुका है एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र व परिवादी सत्येन्द्र पाल का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत गया है। जिसका अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य नोटिस दिनांकित 29.06.2019 मय रजिस्ट्री रसीद, मु0 1,23,498/–रू0 (मुबलिग एक लाख तेइस हजार चार सौ अन्ठानबे रूपये) का एक अद्द बाउन्स चेक बैंक ऑफ बडौदा व चेक बाउन्स की अनादरित रिपोर्ट, रसीद आदि तथा साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं परिवादी से समर्थित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत विपक्षी बघेल सिंह के विरूद्ध दस्तावेजीय साक्ष्य व परिवादी के साक्ष्य शपथ पत्र से विपक्षी उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम का अपराध गठित होता है, तद्नुसार अभियुक्त/विपक्षी बघेल सिंह को विचारण हेतु आहूत किया जाना न्यायोचित हैं।

आदेश

अभियुक्त बघेल सिंह को अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह प्रोसेस फीस व सूची गवाहान दाखिल करें तत्पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्त दिनांक 18.01.2020 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।